Rule 71: 1[****]

Rule 71 omitted by Noti. No. 19/2022–Central Tax, dt. 28-09-2022 w.e.f. 01-10-2022. Earlier to omission it was read as,

"Rule 71 : Communication and rectification of discrepancy in claim of input tax credit and reversal of claim of input tax credit

- (1) Any discrepancy in the claim of input tax credit in respect of any tax period, specified in sub-section (3) of section 42 and the details of output tax liable to be added under sub-section (5) of the said section on account of continuation of such discrepancy, shall be made available to the recipient making such claim electronically in FORM GST MIS-1 and to the supplier electronically in FORM GST MIS-2 through the common portal on or before the last date of the month in which the matching has been carried out.
- (2) A supplier to whom any discrepancy is made available under sub-rule (1) may make suitable rectifications in the statement of outward supplies to be furnished for the month in which the discrepancy is made available.
- (3) A recipient to whom any discrepancy is made available under sub-rule (1) may make suitable rectifications in the statement of inward supplies to be furnished for the month in which the discrepancy is made available.
- (4) Where the discrepancy is not rectified under sub-rule (2) or sub-rule (3), an amount to the extent of discrepancy shall be added to the output tax liability of the recipient in his return to be furnished in FORM GSTR-3 for the month succeeding the month in which the discrepancy is made available.

Explanation.- For the purposes of this rule, it is hereby declared that -

- (i) Rectification by a supplier means adding or correcting the details of an outward supply in his valid return so as to match the details of corresponding inward supply declared by the recipient;
- **(ii)** Rectification by the recipient means deleting or correcting the details of an inward supply so as to match the details of corresponding outward supply declared by the supplier."

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम ७	1:	¹ [.			.]
--------	----	-----------------	--	--	----

1 अधिसूचना क्रमांक 19/2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा नियम 71 विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार थाः

"नियम 71 : इनपुट कर प्रत्यय के दावे की संसूचना और उसमें विसंगति का परिशोधन तथा इनपुट कर प्रत्यय दावे का उलट दिया जाना

- (1) धारा 42 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट किसी कर अवधि की बाबत् इनपुट कर प्रत्यय के दावे में कोई विसंगति तथा ऐसी विसंगति के चालू रहने के कारण उक्त धारा की उपधारा (5) के अधीन जोड़े जाने के लिए दायी उत्पादन कर के ब्यौरे प्ररूप जीएसटीआर एमआईएस—1 में इलेक्ट्रानिक रूप से ऐसा दावा करने वाले प्राप्तीकर्ता और प्ररूप जीएसटीआर एमआईएस—2 में इलेक्ट्रानिक रूप से प्रदायकर्ता को सामान्य पोर्टल के माध्यम से उस मास, जिसमें सुमेलीकरण किया गया हो, की अन्तिम तारीख को या उससे पहले उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
- (2) ऐसा कोई प्रदायकर्ता, जिसको उप—नियम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस मास, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, के लिए प्रस्तुत किया जाने वाले जावक प्रदायों के विवरण में उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा।
- (3) ऐसा कोई प्राप्तिकर्ता, जिसको उप—नियम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस मास, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, के लिए प्रस्तुत किया जाने वाले आवक प्रदायों के विवरण में उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा।
- (4) जहां विसंगति उप-नियम (2) या उप-नियम (3) के अधीन परिशोधित नहीं की जाती है, वहां विसंगति के विस्तार तक रकम उस मास, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, के उत्तरवर्ती मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3 में प्रस्तुत की जाने वाली उसकी विवरणी में प्राप्तिकर्ता के उत्पादन कर दायित्व में जोड़ी जाएगी।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, यह घोषणा की जाती है कि,-

- (i) किसी प्रदायकर्ता द्वारा परिशोधन से उसकी विधिमान्य विवरणी में जावक प्रदाय के ब्यौरों को जोड़ना या संशोधन करना अभिप्रेत है जिससे कि प्राप्तिकर्ता द्वारा घोषित तत्स्थानी आवक प्रदाय के ब्यौरों को सुमेलित किया जा सके;
- (ii) किसी प्राप्तिकर्ता द्वारा परिशोधन से आवक प्रदाय के ब्यौरों का हटाया जाना या उन्हें संशोधित किया जाना अभिप्रेत है जिससे कि प्रदायकर्ता द्वारा घोषित तत्स्थानी जावक प्रदाय के ब्यौरों को सुमेलित किया जा सके;"